समाहरणालय, मधेपुरा
(जिला पंचायत कार्यालय)
अल्प कालीन निविदा संख्या–01/2021

84

पंचायत आम निर्वाचन –2021 के क्रम में उपयोग होने वाली मतदान/मतगणना/लेखन सामग्रियों, प्रपत्रों का मुद्रण, टेन्ट, शामियाना, अस्थायी विद्युतीकरण, वेब टेलीकास्ट आधारित लाईव विडीयो स्ट्रीमलाइनिंग, विडीयोग्राफी, डिजीटल फोटोग्राफी, भाड़े पर कम्प्यूटर सेट, लैपटॉप, COVID-19 कीट एवं अल्पाहार/भोजन आदि के लिए दर के निर्धारण हेतु अनुभवी, योग्य एवं आर्थिक रूप से सुदृढ़ इच्छुक एवं सक्षम फर्मो से द्विलिफाफा प्रणाली के तहत निविदा आमंत्रित की जाती है। जिसमें एक तकनीकी एवं दूसरा वित्तीय निविदा के लिए होगा। प्रत्येक कंडिका के लिए तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग लिफाफे में शील बन्द कर एक बड़ा लिफाफा जिसके उपर फर्म का नाम अंकित हो, में डाल कर शीलबन्द कर जमा करना होगा। इच्छुक फर्म जो निविदा की सारी शर्तों को पूर्ण करते हो, एक बड़े सीलबंद लिफाफे में एक तकनीकी निविदा एवं दूसरा वित्तीय निविदा को डालकर जिला पंचायत कार्यालय, मधेपुरा में दिनांक–24.05.2021 को 04:00 बजे अपराह्न तक दे सकते हैं। निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त होने वाले निविदा को स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्राप्त सभी निविदायें दिनांक 25.05.2021 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में जिला क्रय समिति के समक्ष खोली जाएगी। स्वयं निविदादाता या उनके द्वारा लिखित में प्राधिकृत प्रतिनिधि निविदा खोलने के समय जिला क्रय समिति की बैठक में उपस्थित रह सकते हैं। निविदादाता जिला पंचायत कार्यालय, मधेपुरा से किसी भी कार्यदिवस में 1000.00 (एक हजार) रूपये प्रति निविदा कंडिकावार नाजीर रसीद के माध्यम से जमा कर दिनांक 24.05.2021 के 03:00 बजे अपराह्न तक निविदा की प्रति प्राप्त कर सकते हैं। निविदा संबंधी विस्तृत जानकारी समाहरणालय, मधेपुरा के वेबसाईड http://madhepura.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

क्रमांक	निविदा कंडिका/कार्य का नाम	विवरण	निविदा प्रपत्र शुल्क	धरोहर राशि
01	02	03	04	05
01	निविदा कंडिका–01: प्रपत्रों का मुद्रण, फोटो स्टेट।	मतदान कराये जाने के निमित्त प्रपत्रों, लिफाफों, फोटो स्टेट एवं पंजी मुद्रण इत्यादि।	1000/–	50000
02	निविदा कंडिका –02: मतदान/मतगणना सामग्री एवं लेखन सामग्री।	मतदान/मतगणना कराये जाने के निमित्त सामग्रियाँ एवं लेखन सामग्रियाँ इत्यादि	1000/–	
03	निविदा कंडिका –03: विडियोग्राफी/ फोटोग्राफी एवं सी.सी.टी. कैमरा इत्यादि।	मतदान प्रक्रिया की लाइव वीडियो स्ट्रीमलाईनिंग, लैपटॉप एवं कम्प्यूटर, वीडियोग्राफी एवं डिजिटल फोटोग्राफी, जी0पी0एस0, प्रोजेक्टर इत्यादि, फैक्स मशीन, स्कैनर, टी0भी0 (एल0सी0डी0) डी0टी0एच0 एवं सी.सी.टी.वी. कैमरा इत्यादि	1000/–	
04	निविदा कंडिका –04: टेन्ट /शामियाना इत्यादि।	टेन्ट, शामियाना, कुर्सी, टेबुल, सोफा इत्यादि	1000/–	
05	निविदा कंडिका –05: अस्थायी विद्युतीकरण इत्यादि।	अस्थायी विद्युतीकरण से संबंधित सामग्री यथा जेनरेटर, बल्ब, पंखा एवं अन्य विद्युत उपकरण /सामग्री तार सहित एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र इत्यादि	1000/–	
06	निविदा कंडिका –06: अल्पाहार एवं भोजन इत्यादि।	चाय, पानी(बोतल/जार नल सहित) अल्पाहार, भोजन, एवं जूस इत्यादि।	1000/–	
07	निविदा कंडिका –07 COVID-19 सामग्री।	COVID-19 से बचाव हेतु मेडिकल कीट आदि।	1000/–	

निविदा की शर्तें –

(क) सामान्य शर्तें –

(1) कोई भी निविदा निर्धारित प्रपत्र /निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा अपूर्ण एवं बिना हस्ताक्षर किये गये निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

(2) निविदा कंडिकावार तकनीकी तथा वित्तीय निविदा अलग–अलग लिफाफे में समर्पित करना होगा। जिस पर निविदा का कंडिका संख्या अंकित होना अनिवार्य है तथा तकनीकी निविदा स्वीकृत योग्य पाये जाने पर ही वित्तीय निविदा खोला जायेगा।

(3) सामग्रियों का नमूना निविदा के साथ संलग्न करना होगा।

(4) कार्यादेश के पश्चात् सभी संबंधित सामग्री जिला पंचायत कार्यालय/निर्धारित स्थल पर निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना होगा।

(5) विपत्र का भुगतान सामग्री/प्रपत्र के गुणवत्ता के आधार पर निर्धारित दर पर की जाएगी। सामग्री में किसी भी प्रकार की कमी होने पर अनुपातिक रूप से कटौती करते हुए विभाग से आवंटन प्राप्त होने पर भुगतान किया जायेगा। विलंब की स्थिति में किसी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान (ब्याज) देय नहीं होगा।

(6) यदि प्रथम स्थान वाले निविदादाता ससमय कार्य करने में असमर्थ रहते हैं तो कार्य की आकस्मिकता एवं समय सीमा की बाध्यता को मद्देनजर रखते हुए क्रय समिति द्वारा निर्धारित दर पर एक से अधिक निविदादाता के बीच कार्य आवंटित किया जा सकता है।

(7) किसी भी विवाद की स्थिति में अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।

(8) निविदा को बिना किसी कारण बताए संशोधन करने, स्थगित करने या रद्द करने का सर्वाधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

(9) यदि किराये पर ली गई सामग्री का भाड़ा सामग्री के MRP से अधिक होगा तो सामग्री MRP पर क्रय कर ली जाएगी।

(10) अस्थाई विद्युतीकरण में प्रयुक्त तार का भाड़ा भुगतान अलग से देय नहीं होगा।

(11) सामग्री आपूर्त्ति हेतु अलग से कोई पैकिंग/किराया/ढुलाई भाड़े देय नहीं होगा। सामग्री की आपूर्ति कार्य स्थल पर करना होगा तथा पैकेटिंग कार्य में पोलीथीन थैला का व्यवहार नहीं होगा, भोजन सामग्री एल्युमिनियम फोआईल के पैकेट्स में पैक कर आपूर्ति करनी होगी।

(12) किसी भी प्रतिष्ठान के द्वारा यदि कोई दर/भाड़ा न्यूनतम दर्शाया जाता है तो उस दर पर उसे कार्य करना अनिवार्य होगा अन्यथा उस प्रतिष्ठान के विरूद्व निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने का दोषी मानते हुए उसके विरूद्व नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

(13) समय सीमा के अन्दर सामग्री आपूर्ति नहीं करने पर फर्म को काली सूची में दर्ज करते हुए निर्वाचन कार्य को बाधित करने के कारण नियमानुसार प्राथमिकी दर्ज करते हुए जमानत की राशि जब्त कर ली जाएगी।

(14) निविदादाता को यदि कार्य आवंटित होता है तो निर्धारित समय सीमा के अन्दर कार्य पूर्ण करना होगा अन्यथा कार्यादेश को रद्द करते हुए प्रतिभूति की राशि जब्त कर ली जाएगी तथा फर्म के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी, एव उसे काली सूची में दर्ज कर दिया जाएगा।

(15) निविदा निर्धारण के समय निविदादाता या उनके प्रतिनिधि क्रय समिति के समक्ष उपस्थित रहेंगे।

(16) सामग्री आपूर्ति के समय लागू जी0एस0टी0 दर मान्य होगा तथा दर संविदा 01 (एक) वर्ष तक मान्य रहेगा, परंतु इस पर Fall Clause के नियम लागू होंगे।

(17) निविदा संबंधी विस्तृत जानकारी समाहरणालय, मधेपुरा के वेबसाईड http://madhepura.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

(18) धरोहर की राशि मो0–50,000/–रूपया का बैंक ड्रॉफ्ट जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)–सह–जिलाधिकारी, मधेपुरा के नाम से संलग्न करना होगा।

(ख) तकनीकी निविदा की शर्तें :–

(1) निविदा में भाग लेने वाले फर्म को संबंधित विभाग से Bihar Shop and Establishment act के अधीन निबंधित होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

(2) फर्म को जी0एस0टी0/उद्योग विभाग/आयकर विभाग/वाणिज्यकर विभाग में तीन वर्षो से निबंधित होने का प्रमाण–पत्र/पैन न0 देना होगा। साथ ही विगत तीन वर्षो यथा 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21 का आयकर रिर्टन देना होगा एवं अद्यतन जी0एस0टी0 जमा करने की विवरणी की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा।

(3) प्रतिष्ठान का एस0एस0आई0/एम0एस0एम0ई0 उद्योग का निबंधन प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(4) निविदादाता को अपने फर्म के संबंध में इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि फर्म काली सूची में दर्ज नहीं है एवं किसी राजनैतिक दल से सम्बद्व नहीं है।

(5) आवंटित कार्य किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य को उपावंटन मान्य नहीं होगा तथा यदि ऐसा पाया जाता है तो तुरंत कार्यादेश /आपूर्त्यादेश वापस ले लिया जाएगा एवं जमानत राशि जब्त करते हुए

कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी। इस आशय की स्वीकार्योक्ति तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना होगा।

(6) प्रपत्र मुद्रण के लिए इच्छुक फर्म को ऑफसेट मशीन का स्वामित्व प्रमाण–पत्र देना होगा।

(7) निर्वाचन कार्य का अनुभव रखने वाले निविदादाताओं को प्राथमिकता दी जायेगी।

(8) संस्था को ई0पी0एफ0 /ई0एस0आई0सी0 के तहत् निबंधित होना चाहिए।

(9) मुद्रित किए जाने वाले प्रपत्रों के मुद्रण हेतु प्रयोग में लाए जाने वाले कागज का नमुना निविदा के समय प्रस्तुत करना होगा। ए4 साईज के लिए 70 GSM तथा Legal sized papers एवं पम्पलेट मुद्रण हेतु कम से कम 60 GSM के कागज का उपयोग अनिवार्य होगा।

(10) निविदा के साथ भोजन/नास्ता बनाने हेतु सक्षम प्राधिकार का लाईसेन्स संलग्न करना होगा।

(11) विपत्र का भुगतान सामग्री/प्रपत्र के गुणवत्ता के आधार पर निर्धारित दर पर की जायेगी, जिसमें किसी भी प्रकार की कमी होने पर अनुपातिक रूप से कटौती की जाएगी।

(12) फर्म को निविदा कंडिका–01, 02, 03, 04, 05, 06 एवं 07 के लिए गत वित्तीय वर्ष 2020–21 का टर्न ओवर 30 (तीस) लाख रूपये होने से संबंधित दस्तावेज जमा करना होगा।

(13) वीडियोग्राफी एवं डिजिटल फोटोग्राफी/Live Video Streaming/GPRS enabled tracking unit के लिए निविदा के साथ उपलब्ध कराने वाली सामग्री/क्षमता (प्रतिदिन व्यक्ति के साथ कैमरा) का उल्लेख करना होगा।

(14) निविदादाताओं को पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत अद्यतन चरित्र प्रमाण–पत्र देना होगा।

(ग) वित्तीय निविदा की शर्तें :–

(1) निविदा में अंकित दर/मूल्य आयकर, जी0एस0टी0 एवं अन्य सभी करों (टैक्सेज) सहित अंकित करना होगा। अंतिम भुगतान के समय नियमानुसार कर की कटौती कर भुगतान किया जायेगा।

(2) निविदा प्रपत्र में हीं दर का उल्लेख अंक एवं शब्द में करना होगा।

(3) लिफाफे के उपर फर्म का नाम एवं कंडिका अंकित करना अनिवार्य है।

(4) कार्यालय द्वारा निर्गत प्रपत्र में ही निविदा देय होगा।

(5) प्रपत्र में अंकित सभी सामग्री का दर अंकित करना होगा।

जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा 17.04.2021 — उप विकास आयुक्त, मधेपुरा — 21.4.21

जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)
–सह–
जिला पदाधिकारी, मधेपुरा।

ज्ञापांक :....625/पं0 मधेपुरा, दिनांक 22/04/2021

प्रतिलिपि : सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि : आयुक्त, कोशी प्रमण्डल, सहरसा को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि : निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि निविदा सूचना प्रमुख हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

प्रतिलिपि : जिला स्तरीय क्रय समिति के सदस्य यथा उप विकास आयुक्त, मधेपुरा/अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा सदर/ जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा/राज्य संयुक्त कर आयुक्त, मधेपुरा/जिला लेखा पदाधिकारी, मधेपुरा/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द, मधेपुरा /आई टी मैनेजर, मधेपुरा को दिनांक ...25-05-2021... को 11:00 बजे पूर्वाह्न में क्रय समिति की बैठक में भाग लेने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं प्रचार–प्रसार हेतु प्रेषित। उन्हें निदेश दिया जाता है कि निविदा सूचना को हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने के निमित्त विभागीय स्तर से आवश्यक एवं समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे

प्रतिलिपि: जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा — उप विकास आयुक्त, मधेपुरा — 22.4.21

जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)
–सह–
जिला पदाधिकारी, मधेपुरा।